[2024] 3 एस.सी.आर. 614 : 2024 आई.एन.एस.सी 197

डबलू कुजूर

बनाम

झारखण्ड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या -1511/2024)

12 मार्च 2024

[बेला एम. त्रिवेदी* और पंकज मिथल, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

विचारणीय मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन था।

हेडनोट्स †

आपराधिक कानून - पुलिस रिपोर्ट - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(आर):

निर्णय: धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष और अदालत के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह उक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करे, क्योंकि इसका पालन न करने पर अदालत में कई कानूनी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। [पैरा 7]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 173(2) – धारा 173(2) के अंतर्गत रिपोर्ट संज्ञान का आधार बनती है – आरोप पत्र, संबंधित न्यायालय को जांच अधिकारी की राय है:

निर्णय: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट ही सक्षम न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेने का आधार बन सकती है - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत आरोप पत्र जांच अधिकारी की संबंधित न्यायालय को दी गई राय या सूचना है कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया गया है। [पैरा 12 और 13]

आपराधिक कानून - मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प हैं, जहां पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि अपराध बनता है; और जहां पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध नहीं बनता।

*लेखक

निर्णय: जब पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प होते हैं: (i) वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है; (ii) वह धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकता है; (iii) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है, और आरोपी को बरी कर सकता है - जब पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध नहीं किया गया प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प होते हैं: (i) वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही छोड़ सकता है; (ii) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, और संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है; (iii) वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकता है। **भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य, [1985] 3 एससीआर 942**:1985 आईएनएससी 103: (1985) 2 एससीसी 537 में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया। [पैरा 14]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 173(2) और (5) – क्या अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जांच को खुला रखते हुए अंतिम रिपोर्ट, या धारा 173(5) के अंतर्गत सभी दस्तावेजों के बिना धारा 173(2) के अनुपालन में है – आरोप पत्र को दूषित नहीं करेगा:

निर्णय : सत्य नारायण मुसदी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1980) 3 एससीसी 152 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि धारा 173(2) सीआरपीसी की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा यदि रिपोर्ट में उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण शामिल किए जाएं। रिपोर्ट पूरी है यदि उसके साथ धारा 173(5) सीआरपीसी के अनुसार सभी दस्तावेज और गवाहों के बयान हों। दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, [2007] 9 एससीआर 1124: 2007 आईएनएससी 941: (2007) 8 एससीसी 770 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि भले ही सभी दस्तावेज दाखिल न किए गए हों, लेकिन इसके कारण आरोप-पत्र स्वयं कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं होगा। सीबीआई बनाम कपिल वधावन, [2024] 1 एससीआर 677: 2024 आईएनएससी 58 में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा गया है कि अन्य आरोपियों के संबंध में आगे की जांच लंबित रहने या आरोप पत्र दाखिल करने के समय दस्तावेजों की अनुपलब्धता आरोप पत्र को अमान्य नहीं करेगी। [पैरा 15]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – जांच – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 से धारा 172 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया – पुलिस द्वारा रिपोर्ट:

निर्णय: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 के तहत, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने का संदेह करने का कारण है, जिसकी

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

जांच करने का अधिकार उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 के तहत है, तो उसे तत्काल मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट भेजें - ऐसी रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रकृति की होगी - धारा 169 के तहत, जांच पूरी होने पर, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देगा, और उसे निर्देश देगा कि जब भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 उन मामलों से संबंधित है जब सबूत पर्याप्त हैं - धारा 172 जांच में कार्यवाही की डायरी से संबंधित है - दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के तहत जांच करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी को जांच में अपनी कार्यवाही को दिन-प्रतिदिन एक डायरी में दर्ज करना आवश्यक है - धारा 172 (1 ए) के तहत गवाहों के बयानों को केस डायरी में डालने की आवश्यकता होती है; और धारा 172(1बी) के अनुसार ऐसी डायरी एक खंड में होनी चाहिए और उसमें उचित पृष्ठ होने चाहिए। [पैरा 10 और 11]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 173(2) – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकताएं – पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए अनुपालन के निर्देश:

निर्णय: जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट जिसमें यह बताया जाएगा- (क) पक्षों के नाम; (ख) सूचना की प्रकृति; (ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं; (घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा; (ङ) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है; (च) क्या उसे मुचलके पर रिहा किया गया है और यदि ऐसा है, तो जमानत के साथ या उसके बिना; (छ) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है। (ज) क्या महिला की मेडिकल जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी) या धारा 376ई के तहत अपराध से संबंधित है; (ii) यदि जांच पूरी होने पर, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का औचित्य साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो प्रभारी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट में धारा 169 सीआरपीसी के अनुपालन के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगा; (iii) जब किसी मामले के संबंध में रिपोर्ट जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण भेजेगा, जिन पर अभियोजन पक्ष प्रस्ताव करता है। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए बयानों के अलावा अन्य पर भरोसा करना; तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अपने गवाहों के रूप में जांच करने का

प्रस्ताव रखने वाले सभी व्यक्तियों के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान; (iv) आगे की जांच के मामले में, प्रभारी पुलिस अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के संबंध में मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें भेजेगा और उपरोक्त उप पैरा (i) से (iii) में उल्लिखित विवरणों का भी अनुपालन करेगा। [पैरा 17]

उद्धृत केस कानून

भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य **[1985] 3 एससीआर 942** : **1985 आईएनएससी 103** : **(1985) 2 एससीसी 537**; सत्य नारायण मुसादी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य **(1980) 3 एससीसी 152**; दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, **[2007] 9 एससीआर 1124** : **2007 आईएनएससी 941 : (2007) 8 एससीसी 770**; सीबीआई बनाम कपिल वधावन **[2024] 1 एससीआर 677** : **2024 आईएनएससी 58 - पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

कीवर्ड की सूची

पुलिस रिपोर्ट; आरोप पत्र; धारा 173 सीआरपीसी का अनुपालन; अंतिम रिपोर्ट के लिए निर्देश।

मामला उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या :- 1511/2024

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के दिनांक 17.01.2023 के निर्णय एवं आदेश से बीए संख्या 11895/2022

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए- सुधांशु चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वात्सल्य विज्ञा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए - शरण देव सिंह ठाकुर, ए.ए.जी., विष्णु शर्मा, शांतनु सागर, पुनीत सिंह बिंद्रा, अनिल कुमार, गुंजेश रंजन, वैभव जैन, राजेश रंजन, अतीन शंकर रस्तोगी, ए. वासुदेव, प्रतीक यादव, अज़मत हयात अमानुल्लाह, सुश्री रुचिरा गोयल, सिद्धार्थ ठाकुर, शरण्या सिन्हा, मुस्तफा सज्जाद, सुश्री कीर्ति जया, अदित जयेशभाई शाह, अधिवक्ता।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट/आर्डर

जजमेंट/निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलकर्ता-अभियुक्त ने वर्तमान अपील के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा बी.ए. संख्या 11895/2022 में पारित दिनांक 17.01.2023 के विवादित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सुखदेवनगर पी.एस. केस संख्या 238/2022 दिनांक 30.05.2022 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में जमानत पर रिहाई की मांग करने वाली उक्त अर्जी को खारिज कर दिया है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 120-बी/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए/26/27/35 के तहत दर्ज की गई थी।
3. बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि मुकदमा अंतिम चरण में है और अभियोजन पक्ष ने एक गवाह को छोड़कर लगभग सभी गवाहों से पूछताछ कर ली है।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हैं, खासकर तब, जब मुकदमा अपने अंतिम चरण में है।
5. विदा लेने से पहले यह ध्यान दिया जा सकता है कि 17.07.2023 को इस न्यायालय (न्यायालय - न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी) ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था: -

> झारखंड राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता डबलू कुजूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 120बी के तहत एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2874/2023 लगाई गई है।
>
> आरोपपत्र को पढ़ने के बाद, हमें यह देखना होगा कि इसमें कोई विवरण और ब्योरा नहीं है। झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जांच करेंगे कि क्या उक्त आरोपपत्र कानून के अनुसार है और यदि ऐसे आरोपपत्र दायर किए जा रहे हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में उचित कदम उठाए जाने चाहिए। झारखंड राज्य के डीजीपी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
>
> हमें बताया गया है कि बिहार और झारखंड राज्यों में विवरण और ब्योरा रहित इसी तरह के आरोपपत्र दायर किए जा रहे हैं। इस आदेश की एक प्रति बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंधित डी.जी.पी को भी भेजी

जाएगी, जो आज से चार सप्ताह के भीतर उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम ट्रायल कोर्ट को आज से चार महीने की अवधि के भीतर सार्वजनिक गवाहों की जांच करने का निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं। चार महीने पूरे होने पर तुरंत आदेश पत्र की प्रति के साथ स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।

दिसंबर 2023 की पहली छमाही में विचार और आदेश के लिए सूची तैयार की जाएगी।

6. उक्त आदेश के अनुपालन में झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की ओर से कानून के अनुसार आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों के संबंध में हलफनामे दायर किए जाते हैं।

7. धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष और न्यायालय के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए हम उक्त प्रावधान में शामिल विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करना आवश्यक समझते हैं। इसके बाद बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि जांच अधिकारी के लिए उक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इनका पालन न करने से न्यायालय में कई कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।

8. सीआरपीसी की धारा 2(आर) के अनुसार, "पुलिस रिपोर्ट" का अर्थ है धारा 173 की उपधारा (2) के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट।

9. धारा 173 इस प्रकार है: -

"173. जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।—

(1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी की जाएगी।

[(1ए) धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी या 376ई के तहत अपराध के संबंध में जांच उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज की गई थी।]

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि-

क. पक्षों के नाम;
ख. सूचना की प्रकृति;
ग. उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;
घ. क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा;
ङ. क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है;
च. क्या उसे मुचलके पर रिहा किया गया है और यदि ऐसा है, तो जमानतदारों के साथ या उनके बिना;
छ. क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है।
ज. क्या महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 2 [धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी] या धारा 376ई के तहत अपराध से संबंधित है।]

(ii) अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उस व्यक्ति को भी देगा, यदि कोई हो, जिसने अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना सबसे पहले दी थी।

(3) जहां धारा 158 के अधीन पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां रिपोर्ट, किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश दे, उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट के आदेश लंबित रहने तक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकेगा।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बंधपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में हो जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा-

क. सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा;

ख. धारा 161 के तहत दर्ज बयान सभी व्यक्तियों के अभियोजन पक्ष सहित उनके गवाहों के रूप में जांच का प्रस्ताव है।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय-वस्तु से सुसंगत नहीं है अथवा अभियुक्त के समक्ष उसका प्रकटीकरण न्याय के हित में आवश्यक नहीं है तथा लोकहित में अनुचित है, तो वह कथन के उस भाग को इंगित करेगा तथा मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हुए एक नोट संलग्न करेगा कि वह अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों में से उस भाग को निकाल दे तथा ऐसा अनुरोध करने के अपने कारण भी बताएगा।

(7) जहां मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधाजनक समझता है, वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी दस्तावेज की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है।

(8) इस धारा में कोई भी बात किसी अपराध के संबंध में उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के पश्चात आगे की जांच में बाधा डालने वाली नहीं समझी जाएगी और जहां ऐसी जांच के पश्चात पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप में आगे की रिपोर्ट या रिपोर्टें भेजेगा; और उपधारा (2) से (6) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।

10. जांच की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 157 में निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यदि प्राप्त सूचना या अन्यथा से किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी अपराध के होने का संदेह होता है, जिसकी जांच करने का अधिकार उसे धारा 156 के तहत है, तो वह तुरंत एक

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

रिपोर्ट भेजेगा। पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपेगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करने के लिए स्वयं कार्यवाही करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को घटनास्थल पर जाने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। ऐसी रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रकृति की होगी। धारा 169 के अनुसार, जांच पूरी होने पर, यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे जमानतदारों के साथ या बिना, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे, बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, ताकि वह, यदि और जब ऐसा आवश्यक हो, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त का मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए सौंपने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो। धारा 170 उन मामलों से संबंधित है जिन्हें पर्याप्त साक्ष्य होने पर मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। धारा 170(1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

> **"170.** जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मजिस्ट्रेट को मामले भेजे जाएंगे।- (1) यदि इस अध्याय के अधीन जांच करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त रूप से पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में लिए गए अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सौंपने के लिए सशक्त हो, या यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त सुरक्षा देने में सक्षम है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन पर उसकी उपस्थिति के लिए और अन्यथा निर्देश दिए जाने तक प्रतिदिन ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए उससे सुरक्षा लेगा।"

11. धारा 172 जांच में कार्यवाही की डायरी से संबंधित है, जिसके अनुसार सीआरपीसी के अध्याय XII के तहत जांच करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी को जांच में अपनी कार्यवाही को दिन-प्रतिदिन डायरी में दर्ज करना होगा। धारा 172 की उप-धारा (IA) के अनुसार धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को केस डायरी में डाला जाना चाहिए; और धारा 172 की उप-धारा (1B) के अनुसार ऐसी डायरी एक वॉल्यूम में होनी चाहिए और उसमें उचित पृष्ठांकन होना चाहिए।

12. हम धारा 173(2) से अधिक चिंतित हैं क्योंकि हमने पाया है कि जांच अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय/पुलिस रिपोर्ट उक्त प्रावधान की अपेक्षाओं का

अनुपालन नहीं करती है। यद्यपि यह सत्य है कि धारा 173(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है तथा प्रत्येक राज्य सरकार का अपना पुलिस मैनुअल है जिसका पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय पालन किया जाना आवश्यक है, तथापि पुलिस रिपोर्ट/आरोप पत्र में ऐसे अधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अनिवार्य अपेक्षाएं धारा 173, विशेषकर इसकी उपधारा (2) में निर्धारित की गई हैं।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि सीआरपीसी के अध्याय XII में परिकल्पित जांच से पहले, उसके दौरान और बाद में पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस द्वारा विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं, लेकिन यह केवल पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है जो सक्षम न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेने का आधार बन सकती है। आरोप पत्र सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं है। यह जांच अधिकारी की संबंधित अदालत को एक राय या सूचना है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, कोई अपराध विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है।

14. जब ऐसी पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प हैं: **(i)** वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है, **(ii)** वह धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकता है और पुलिस को आगे की रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता हो सकती है, या **(iii)** वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और अभियुक्त को बरी कर सकता है या कार्यवाही को रोक सकता है। यदि ऐसी पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट के पास फिर से तीन विकल्प हैं: **(i)** वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही को छोड़ सकता है, या **(ii)** वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और यह विचार करते हुए कि आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, अपराध का संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है, या **(iii)** वह धारा 156_1 की उप-धारा (3) के तहत पुलिस द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है।

15. धारा 173(2) सीआरपीसी के अनुपालन के संबंध में मुद्दे तब भी उठ सकते हैं, जब जांच अधिकारी पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केवल एफआईआर में नामित कुछ अभियुक्तों के संबंध में, अन्य अभियुक्तों के संबंध में जांच को खुला रखते

1 **भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य: [1985] 3 एससीआर 942** : (1985) 2 एससीसी 537

हुए, या जब धारा 173(5) के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में, अक्सर अदालत के सामने यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी पुलिस रिपोर्ट को धारा 173 सीआरपीसी की उप-धारा (2) के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया कहा जा सकता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि **सत्य नारायण मुसदी और अन्य बनाम बिहार राज्य**[2] में, इस अदालत ने देखा है कि धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा यदि रिपोर्ट में उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट पूरी है अगर उसके साथ धारा 175(5) के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज और गवाहों के बयान हों। **दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई**[3] में, हालांकि, यह माना गया है कि भले ही सभी दस्तावेज दाखिल न किए गए हों, इस कारण से आरोप पत्र प्रस्तुत करना कानून में दोषपूर्ण नहीं होगा। ऐसे मुद्दे अक्सर तब उठते हैं जब अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए अपना दावा करता है और तर्क देता है कि धारा 173(5) के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, या धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कुछ व्यक्तियों की जांच खुली रखी गई है, धारा 173(2) के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने हाल ही में **सी.बी.आई बनाम कपिल वधावन और अन्य**[4] के मामले में माना कि: -

> "एक बार जब आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री से न्यायालय अपराध के बारे में संतुष्ट हो जाता है और आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान ले लेता है, तो यह मायने नहीं रखता कि धारा 173(8) के तहत आगे की जांच लंबित है या नहीं। अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच लंबित रहने या आरोपपत्र दाखिल करने के समय उपलब्ध न होने वाले कुछ दस्तावेजों के प्रस्तुत होने से न तो आरोपपत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और न ही यह आरोपी को इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार देता है कि आरोपपत्र अधूरा था या आरोपपत्र सी.आर.पी.सी की धारा 173(2) के तहत दायर नहीं किया गया था।"

---

2 (1980) 3 एससीसी 152

3 **[2007] 9 एससीआर 1124** : (2007) 8 एससीसी 770

4 **[2024] 1 एससीआर 677** : आपराधिक अपील संख्या - 391/2024 (@ एसएलपी (आपराधिक) संख्या - 11775/2023)

16.उपर्युक्त चर्चा सी.आर.पी.सी की धारा 173(2) में निहित प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन के महत्व को उजागर करने के लिए आवश्यक है।

17.अतः धारा 173 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी: -

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया हो कि-

   (क) पक्षों के नाम;
   (ख) सूचना की प्रकृति;
   (ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;
   (घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि ऐसा है तो किसके द्वारा;
   (ङ) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है;
   (च) क्या उसे मुचलके पर रिहा किया गया है और यदि ऐसा है तो जमानतदारों के साथ या उनके बिना;
   (छ) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है।
   (ज) क्या महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है जहां जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी) या धारा 376ई के तहत अपराध से संबंधित है।

2. यदि जांच पूरी होने पर, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का कोई उचित आधार नहीं मिलता है, तो प्रभारी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट में धारा 169 सीआरपीसी के अनुपालन के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगा।
3. जब किसी मामले के संबंध में रिपोर्ट, जिस पर धारा 170 लागू होती है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ वे सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण भेजेगा, जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, उनके अलावा जो पहले से ही जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं; और उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान, जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में परखने का प्रस्ताव करता है।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

4. आगे की जांच के मामले में, प्रभारी पुलिस अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के संबंध में मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें भेजेगा और उपरोक्त उप पैरा (i) से (iii) में उल्लिखित विवरणों का भी अनुपालन करेगा।

18. यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य के पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी पूर्वोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे और इनका पालन न किए जाने पर संबंधित न्यायालयों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनमें पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

19. इस आदेश की प्रतिलिपि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अवलोकन एवं अनुपालन हेतु भेजी जाए। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

हेडनोट्स तैयार किए गए:
विधि ठाकर, मानद एसोसिएट एडिटर
(सत्यापित: लिज़ मैथ्यू, सीनियर एडवोकेट)

मामले का परिणाम:
अपील का निपटारा किया गया

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।